# भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रुप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

> भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



सोनिया यादव SONIA YADAV बीय पासपोर्ट अधिकारी

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी Regional Passport Officer क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय Regional Passport Office अहमदाबाद/AHMEDABAD पासपोर्ट PASSPORT



भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA



पुराने पासपोट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue 22048636 04/07/2010 MUSCAT 11, RIVEIRA-2, BUNGLOWS, NR. BRIGHT DAY SCHOOL विविध सेवा/MISCELLANEOUS SERVICE टिप्पणी / OBSERVATION पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian JAYANT PRABHURAM SHUKLA PIN:391410,GUJARAT,INDIA MANORAMA JAYANT SHUKLA पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse MALA YAGNESH SHUKLA BHAYLI, VADODARA काईल मं./ File No. AH3074363721619 माता का नाम / Name of Mother पता / Address

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/ केन्द्र में अपना पंजीकरण करवाएं।

चेतावनी वह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है । इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

-यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट घारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति

पासपोर्ट गुम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम् पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय ानकटतम पासपाट आधकारा का अथवा थाद पासपाट घारक विदश में हैं तो निकटतम भारतीय भिश्नन/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए । विस्तृत पूछताछ के बाद ही हुप्लीकेट पासपोर्ट चारी किया जाएगा ।

## REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

### CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER. OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.